उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–4560/9–1–2017–302सा/2017
लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 7 उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नगर निगमों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो और महिलाओं के लिए महापौर के पद आरक्षित/आवंटित करने हेतु आपत्तियां प्राप्त करने की दृष्टि से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुरूप एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. उपर्युक्त के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 8 वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ (दूरभाष संख्या–0522–2287234 फैक्स नम्बर–0522–2288875) को सम्बोधित आपत्तियां, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक–20 अक्टूबर, 2017 को सायं 05 बजे तक लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है(स्थानीय निकाय, निदेशालय दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 को भी आपत्तियां प्राप्त करने हेतु खुला रहेगा)।

अनुसूची

क्र. सं.	जनपद का नाम	नगर निगम का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1	मथुरा	नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन	अनुसूचित जाति
2	मेरठ	नगर निगम, मेरठ	अनुसूचित जाति महिला
3	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	पिछड़ा वर्ग महिला
4	वाराणसी	नगर निगम, वाराणसी	पिछड़ा वर्ग महिला
5	सहारनपुर	नगर निगम, सहारनपुर	पिछड़ा वर्ग
6	गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर	पिछड़ा वर्ग
7	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	महिला
8	कानपुर नगर	नगर निगम, कानपुर	महिला
9	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	महिला
10	आगरा	नगर निगम, आगरा	अनारक्षित
11	इलाहाबाद	नगर निगम, इलाहाबाद	अनारक्षित
12	बरेली	नगर निगम, बरेली	अनारक्षित
13	मुरादाबाद	नगर निगम, मुरादाबाद	अनारक्षित
14	अलीगढ	नगर निगम, अलीगढ़	अनारक्षित
15	झांसी	नगर निगम, झांसी	अनारक्षित
16	फैजाबाद	नगर निगम, अयोध्या	अनारक्षित

Manoj 12.10.17
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक–

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक– 12 अक्टूबर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0 लखनऊ** को इस अधिसूचना की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि उसे प्रदेश के व्यापक प्रचार–प्रसार वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराकर उसकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मण्डलायुक्त, झांसी/आगरा/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़ एवं सहारनपुर उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी झांसी/आगरा/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़ एवं सहारनपुर उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी/आगरा/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़ एवं सहारनपुर उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना/आदेश को कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करायें।
7. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।